



2026:AHC-LKO:3046-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****विशेष अपील संख्या - 899 सन 2006**

आशीष कुमार एवं 18 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अध्यक्ष एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	पी.के. सिन्हा, बजरंगी लाल मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	एन.के. सेठ, गोपाल कुमार श्रीवास्तव

.....सह 1 अन्य वाद

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. ये अपीलें माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 3495 (एसएस) 1998 (ओंकार नाथ और अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) और रिट याचिका संख्या 1544 (एसएस) 1999 (उपेंद्र कुमार और अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य) में दिनांक 20.9.2006 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और रिट याचिका को सभी मामलों में खर्च सहित अनुमति देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई हैं।

2. दिनांक 8.12.2025 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“1. प्रथम दृष्टया सभी अपीलकर्ताओं की आयु सीमा कम से कम 55 वर्ष है। प्रश्न यह है कि यदि हम मामले की खूबियों से संतुष्ट हैं, तो इस स्तर पर उन्हें क्या राहत दी जा सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. उपरोक्त के अधीन, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता प्रासंगिक तिथियों और घटनाओं की एक सूची और एक सारणीबद्ध चार्ट तैयार करेंगे जिसमें अपीलकर्ताओं के नाम, सूची का क्रम संख्या जिसमें उनका नाम है, सूची का वर्ष, उनकी श्रेणी (आरक्षित या सामान्य) और उस व्यक्ति का उल्लेख होगा, जिसे उसी श्रेणी की संबंधित सूची में उनसे नीचे रखा गया था, जिसे, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है, नियुक्ति दी गई थी जबकि अपीलकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी गई थी। प्रासंगिक अन्य टिप्पणियां भी उक्त चार्ट में शामिल की जा सकती हैं।

3. इस मामले को जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में पहले दस मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए।”

3. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त उद्धृत आदेश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, श्री पी.के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री बी.एल. मिश्रा कर रहे थे, दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष रूप से कहा कि संतोष कुमार को छोड़कर, अन्य सभी अपीलकर्ताओं ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर ली है। उन्होंने हमें अपीलकर्ताओं का विवरण देने वाला एक चार्ट प्रस्तुत किया है। चार्ट इस प्रकार है:

अपीलकर्ताओं का नाम	आयु	वर्ग / पैनल वर्ष	पद	बैंक के अनुसार वरिष्ठता क्रम में सूची	कार्य दिवसों की संख्या
आशीष कुमार	57 वर्ष	सामान्य/1989	मैसेंजर	125	87
सुरेंद्र कुमार	60 वर्ष	सामान्य/1989	मैसेंजर	220	66
उमेश चंद्रा	61 वर्ष	सामान्य/1989	मैसेंजर	230	104
जय सिंह	64 वर्ष	सामान्य/1989	मैसेंजर	143	88
राम मूर्ति	63 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर	83	87
मदन मोहन साहू	59 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर	363	-
बलराम यादव	64 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर डी.डबल्यू.	30	168
विजय सिंह	57 वर्ष	सामान्य/1991	डी.ओ.	172	89

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रमेश कुमार दुबे	61 वर्ष	डी.ओ.	डी.ओ.	26	179
महेश चंद गुप्ता	57 वर्ष	सामान्य/1991	नॉन-मैसेंजर डी.डबल्यू.	2	199
संतोष	52 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर डी.डबल्यू.	408	52
अशोक कुमार सिंह	59 वर्ष	डी.ओ.	डी.ओ.	273	84
ओम प्रकाश	58 वर्ष	डी.ओ.	डी.ओ.	143	55
कुलबीर सिंह	61 वर्ष	डी.ओ.	डी.ओ.	357	200
राम सहारे	60 वर्ष	सामान्य/1991 अनुक्रमांक 693	डी.ओ.	सूची में नहीं दर्शाया गया	80
अभय कुमार	57 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर डी.डबल्यू.	9	199
राम अवतार	64 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर एस.डबल्यू.	70	88
वीरेंद्र कुमार सैनी	59 वर्ष	सामान्य/1991	मैसेंजर डी.डबल्यू.	293	83
हरक सिंह	62 वर्ष	सामान्य/1991	डी.ओ.	112	-

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा काम किए गए दिनों की संख्या भी बैंक द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आकस्मिक कर्मचारी के रूप में काम किए गए दिनों की संख्या ही नियुक्ति के लिए विचार का आधार है। संतोष कुमार ने हालांकि अधिकतम आयु सीमा प्राप्त नहीं की है, लेकिन उन्होंने केवल 52 दिन काम किया है, इसलिए यदि उन पर विचार भी किया जाता है, तो भी उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा दिए गए विवरण में अन्य नाम भी शामिल हैं, जैसे राम अवतार, मोहम्मद इरफान और अविनाश चंद्र गुलाटी, जिन्होंने अधिक दिनों तक काम किया है।

5. उपरोक्त के मददेनजर, हमें इस विलंबित अवस्था में आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए अपीलें खारिज की जाती हैं।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 14, 2026

अनुज सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।